न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 126/2024 (उदयपुर डिक्री)

नवला पिता सवला जी भील, निवासी बामणिया, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

............ अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मोहनी बाई पत्नी अम्बालाल जी भील, निवासी बामणिया, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा223 राजस्थान
काश्त० अधि०1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री सहायक कलक्टर, भीण्डर
दिनांक 09.10.2023 प्र.सं. 130/22

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री भुपेन्द्र कुमार मेनारिया अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 2

–––::–––

निर्णय दिनांक 16–01–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बामणिया, तहसील भीण्डर में आराजी नंबर 318 रकबा 0.0200 हैक्टर एवं आराजी नंबर 319 रकबा 1.0600 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.0800 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादिया का 3/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2/5 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित है एवं इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं होने से भूमि विकास हेतु ऋण लेने आदि में दिक्कत आती है। प्रतिवादी संख्या 1 बिना विधिवत विभाजन के वादिया के [illegible] अपनी बताकर विक्रय,

Signature Not Verified
Digitally signed by [illegible] Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:55 IST
Reason: SelfAttested

रहन, बेह, बक्षीस आदि तरीके से हस्तान्तरित करने एवं वादिया को बेदखल करने पर आमादा हैं। अतः विवादित आराजियात का पक्षकार के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पर वादिया के अधिवक्ता की बहस सुनकर दिनांक 09–10–2023 को वादिया का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29–10–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भुपेन्द्र कुमार मेनारिया उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी, पटवारी हल्का द्वारा जानकारी देने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपील करीब एक वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं देरी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है, जिससे अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने में करीब 10 माह का विलम्ब हुआ है, किन्तु चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी ... अपीलान्ट को होने की प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:55 IST
Reason: SelfAttested

दृष्टया कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादी संख्या 2 की तामिल एवं अपीलान्ट के जवाब हेतु नियत थी, किन्तु उक्त दिनांक 27–02–2023 को न्यायालय नहीं चलने से आगामी पेशी दिनांक 27–03–2023 नियत की गयी। उक्त दिनांक को प्रतिवादी संख्या 2 की तामिल हुई एवं पेशी प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत की गयी एवं उसी दिन माननीय न्यायालय ने विधि विरूद्ध वादिया का शपथ पत्र साक्ष्य हेतु रेकार्ड पर लिया गया, जबकि पत्रावली केवल तामिल होने से जवाब हेतु नियत थी, न की साक्ष्य हेतु तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 17–04–2023 को अपीलान्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एवं उन्हें जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि तामील में बावजूद अपीलान्ट/प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार जारी की गयी है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी प्रदर्श अनुसार अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमि के 2/3 हिस्से का सहखातेदार दर्ज है तथा पत्रावली प्रतिवादी/अपीलान्ट के जवाब हेतु दिनांक 17–04–2023 को नियत थी, किन्तु उक्त दिनांक 17–04–2023 को अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए मात्र वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की बहस के आधार पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:55 IST
Reason: SelfAttested

जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 09–10–2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी का जवाबदावा लेकर तथा तनकियां कायम कर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12–03–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 16–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

**(कीर्ति राठौड़)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:55 IST
Reason: SelfAttested